संख्याः526 / एक–10–2020–33(36) / 2018 टीसी

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर, कानपुर देहात, झांसी, गाजीपुर, सीतापुर, हमीरपुर, बलरामपुर, शामली, रायबरेली एवं कौशाम्बी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक: 22 अगस्त, 2020

विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई कृषि फसलों से प्रभावित अवशेष कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2019–20 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई कृषि फसलों से प्रभावित अवशेष कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 में **रू0 14,63,28,000/– (रू0 चौदह करोड़ तिरसठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** की धनराशि, कालम–2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम–3 में अंकित धनराशि अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	मीरजापुर, पत्रांक–2803, दि0–05.08.2020	308.29
2	कानपुर देहात, पत्रांक–139, दि0–05.05.2020	35.00
3	झांसी, पत्रांक–323, दि0–05.08.2020	409.47
4	गाजीपुर, पत्रांक–593, दि0–06.08.2020	329.19
5	सीतापुर, पत्रांक–695, दि0–06.08.2020	351.87
6	हमीरपुर, पत्रांक–40, दि0–12.08.2020	7.41
7	बलरामपुर, पत्रांक–980 दि0–13.08.2020	10.99
8	शामली, पत्रांक–1727 दि0–04.10.2020	5.20
9	रायबरेली, पत्रांक–1876, दि0–11.03.2020	1.50
10	कौशाम्बी, पत्रांक–1218, दि0–04.08.2020	4.36
	कुल योग	**1463.28**
	(रू0 चौदह करोड़ तिरसठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र)	

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803/दस–2013–10(28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2— उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020—21 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड—800—अन्य व्यय—06—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—02—बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—42—अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्याः—526(1)/एक—10—2020—33(36)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2— सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5— सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।